प्रेस नोट **29/03/2024**

<u>ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 05 दोषसिद्ध अभियुक्त 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹5,000-5000 के अर्थदंड से हुये दंडित-</u>

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 29-03-2024 को, मु0अ0सं0 309/2003 धारा 147,302,149,323,504 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त सुदर्शन कहार, सुरेमन कहार पुत्रगण मर्याद, अनिल उर्फ डब्लू, दिनेश उर्फ झब्बू पुत्रगण सुरेमन कहार, बबलू कहार पुत्र सुदर्शन कहार निवासीगण फतेहपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं ₹5000-5000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी अमितसेन थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत 04 दोषसिद्ध अभियुक्त 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास से हुये दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 29-03-2024 को, मु0अ0सं0 सी6/2003 धारा 323,34,324,504 भादवि थाना रानीपुर में दोषसिद्ध अभियुक्त दुर्जन पुत्र दुखन्ती, रामवृक्ष पुत्र रघुनाथ, संग्राम पुत्र कुहेस, हरीलाल पुत्र मिश्री निवासीगण फतेहपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मु0 आरक्षी अमितसेन थाना रानीपुर का सराहनीय योगदान रहा।

तमन्चा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

आज दिनांक 29.03.2024 को थाना सरायलखन्सी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कहिनौर के पास से मु0अ0सं0 76/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त नन्दराज यादव पुत्र छेदी यादव निवासी कुडहरा थाना भीमपुरा जनपद बलिया के कब्जे से 01 अदद अवैध तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 12 बोर बरामद कर गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में वारंटी/वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में कुल 15 वारंटी, 02 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया जिसमें जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रसुलपुर मोड़ के पास से मु0अ0सं0 24/24 धारा 363, 366, 376(3) व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त विरेन्द्र सोनकर पुत्र जयराम सोनकर निवासी गंगउपुर थाना मधुबन तथा थाना रानीपुर पुलिस द्वारा खुरहट युनियन बैंक के पास से मु0अ0सं0 33/24 धारा 3(1) युपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त चन्दन यादव पुत्र दुर्गविजय यादव निवासी सुल्तानपुर कोलौरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

15 वारण्टी अभियुक्त-

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्तगण बिन्दु देवी पत्नी श्यामलाल, कृष्णा पुत्र श्यामलाल, शुभावती पत्नी सुदर्शन, संदीप पुत्र सुदर्शन, श्यामलाल पुत्र शिवचन्द, शिवचन्द पुत्र विजयी निवासीगण नेरुवाडीह, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वसंत राजभर पुत्र भुटेली, नरेन्द यादव पुत्र बुद्धिराम निवासी कटवास, थाना मधुबन पुलिस द्वारा सुगन्धा शर्मा निवासी मीरपुर, पप्पू सुनार निवासी जजौली, महेन्द्र कुमार इटौरा बुजुर्ग, नारायण सोनकर निवासी गंगऊपुर, हरिकेश यादव निवासी धर्मपुर विशुनपुर कारखाना, अनिता निवासी नुरुल्लाहपुर, थाना घोसी पुलिस द्वारा रामसरीख निवासी सिकरौर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

जनपद मऊ में शांति/सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने के दृष्टिगत आज दिनांक 29.03.2024 सायंकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में पूरे जनपद में क्षेत्राधिकारी/प्रभारी निरीक्षकों के नेतृत्व में भारी संख्या में अर्धसैनिक बल व जनपदीय पुलिस बल के साथ संवेदनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, बाजार, भीड़-भाड़ वाले स्थानों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रहा रूट मार्च/एरिया डॉमिनेशन कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति किया जा रहा आश्वस्त।